(Authoritative English Text of this Department of Notification No. HTC-A (3)-3/03, dated 29-8-2005 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF HORTICULTURE

No.HTC-A(3)-3/03 Dated: Shimla-2, 29-8-2005

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by ...so to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Horticulture Department, Administrative Officer, Class-II,(Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1990 notified vide Notification No. Udyan-Ka (3)-1/88, dated 26.04.1990, namely :-

Short title and Commencement.	1 (1)	These Rules may be called the Himachal Pradesh Horticulture Department, Administrative Officer Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (Ist. Amendment) Rules, 2005
	(2)	These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment of short title.	2.	In short title of the Himachal Pradesh, Horticulture Department Administrative Officer, class-II (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1990 (herein after referred to as the " said rules") for the word'sign and Roman figure'"Class-II'" the word' sign and Roman figure' "Class-I" shall be substituted.
Amendment of Annexure-'A'	3.	In Annexure-'A' to the said rules;
	(a)	in column No.3 for the word,sign and Roman figure,"Class-II" 'the word' sign and Roman figure, "Class-I" shall be substituted.
	(b)	For the existing entries against column No.4 the following shall be substituted namely :- " Rs.7800-220-8100-275-10300-340-11660".

14/9/2005

AO

15/9

Sh. Sahib Singh

15/9

(c) For the existing entries against column No.11, the following shall be substituted,namely :-

"By promotion from amongst the Superintendent, Grade-I having three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by deputation of incumbents working as Admn. Officer in other Department of Govt./ /Institution under H.P.

Note: (1) In all cases of promotion, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into accounts towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules, provided that :

(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis , followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/ cadre shall be deemed eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less ;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall be deemed to be ineligible

EXPLANATION :- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-serviceman recruited under the provisions of Rules-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of senioirity thereunder or recruited under provisions of Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules ;

Provided that interse seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By Order,

Principal Secretary (Hort.)to the Government of Himachal Pradesh.
Dated: Shimla-2, 28-8-2005

Endst.No.HTC-A(3)-3/03,

Copy forwarded to :-

1. The Controller,H.P. Printing & Stationery Deptt.,Shimla-5 for publication in the H.P. Rajpatra (Extra-ordinay).
2. The Director of Horticulture,Himachal Pradesh,Shimla-2.
3. The Deputy Legal Remembrancer to the Govt.of H.P.Shimla-2.
4. Deptt. of Personnel-III,H.P. Secretariate, Shimla-2.
5. The Additional Secretary (Fin.Regulation) to the Govt. of H.P., Shimla-2.
6. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.
7. 150 spare copies.

Additional Secretary(Hort.)to the Government of Himachal Pradesh.

225

हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्यान विभाग

संख्या:एच.टी.सी.-ए (3)-3/03 तारीख शिमला-171002, 29-8-2005

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या:उद्यान-ख (3)-1/88 तारीख 26.4.1990 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में प्रशासनिक अधिकारी वर्ग-** (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1990 में और संशोधन करने के लिए निम्न-लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, प्रशासनिक अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

संक्षिप्त नाम का संशोधन

2. हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, प्रशासनिक अधिकारी वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1990 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है) के संक्षिप्त नाम में शब्द, चिन्ह और रोमन अंक "वर्ग-II" के स्थान पर "वर्ग-I" शब्द, चिन्ह और रोमन अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उपाबन्ध "अ" का संशोधन

3. उक्त नियमों के उपाबन्ध "अ" में,

(क) स्तम्भ संख्या 3 में, शब्द, चिन्ह और रोमन अंक, "वर्ग-II", के स्थान पर "वर्ग-I" शब्द, चिन्ह और रोमन अंक प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :-

"7800-220-8100-275-10300-340-11660 रुपये"

(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :-

अधीक्षक ग्रेड-I में से, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सरकार के अन्य विभागों/ हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्तर्गत आने वाले संस्थान में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों में से, प्रतिनियुक्ति द्वारा।

नोट: 1. प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में, यथा विहित, सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी। परन्तु यह कि:

(1) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित [illegible] हो/ नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामि[illegible] आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्ध[illegible] विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/कैडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे,

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण :- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइजड आर्मड फोर्सिज (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम [illegible] प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे एक्स सर्विस मैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विस) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों।

2. इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई तदर्थ सेवा यदि कोई, हो सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/

प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी ।

परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (उद्यान),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या:एच.टी.सी.-ए(3)-3/03 तारीख शिमला-171002. 29/8/05

प्रतिलिपि :-

1. नियन्त्रक, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, शिमला-5 को हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करने हेतु ।
2. निदेशक उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2,
3. उप विधि परामर्शी, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2,
4. कार्मिक विभाग-III, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2,
5. अतिरिक्त सचिव (वित्त-विनियम), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2,
6. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2
7. 150 अतिरिक्त प्रतियां ।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि विभाग, सचिवालय, हिमाचल प्रदेश ।

अतिरिक्त सचिव (उद्यान),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

...